

का.आ. 1824(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 जुलाई, 1998 की अधिसूचना सं० सं० आ० 549 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री अपंग अभ्युदय मंडल, सोला गांधीनगर हाइवे, न्यू हाई कोर्ट-सोला के सामने, अहमदाबाद द्वारा गाँव सोला, दासकरोई ताल्लुक, जिला अहमदाबाद, गुजरात में स्कूल, छात्रावास के लिए भवन तथा आवसीय क्वार्टरों के निर्माण की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 10 पर विनिर्दिष्ट किया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 20 जून, 2000 की अधिसूचना सं० 570 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 5 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं० 782 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने तथा परियोजना लागत को “32.47 लाख रुपए” से संशोधित कर “100.00 लाख रुपए” करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए :-

(क) श्री अपंग अभ्युदय मंडल, सोला गांधीनगर हाइवे, न्यू हाई कोर्ट-सोला के सामने, अहमदाबाद द्वारा गाँव सोला, दासकरोई ताल्लुक, जिला अहमदाबाद, गुजरात में चलाई जा रही स्कूल, छात्रावास के लिए भवन तथा आवासीय क्वार्टरों के निर्माण की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2007-2008 से आरंभ होने वाले वर्ष से आगे दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ; और

(ख) दिनांक 2 जुलाई, 1998 की अधिसूचना सं०सां०आ० 549(अ०) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

उक्त अधिसूचना की सारणी के क्रम सं० 10 के सामने धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि संबंधी कालम (4) में “32.47 लाख रुपए” के अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर “100.00 लाख रुपए” अक्षर, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । ५६॥